उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Ref. No. UOU/R/का.परि./46/2026/2110
Date: 19 अगस्त, 2026

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल), I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी।
4. डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, सीईओ, सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुआँ, नैनीताल।
5. प्रोफेसर शची शाह, निदेशक, SOITDS, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
6. श्री मनुज गोयल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून (नामित प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-प्राध्यापक, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 04 अगस्त, 2026 (मंगलवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **46वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुलपति जी के वैयक्तिक अधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

दिनांक 04 अगस्त, 2026 (मंगलवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, — सदस्य
   अध्यक्ष,
   हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हल्द्वानी।

3. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, — सदस्य
   (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल),
   I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
   (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

4. श्री मनुज गोयल, — सदस्य
   अपर सचिव,
   उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
   (प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)
   (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

5. प्रोफेसर शची शाह , — सदस्य
   निदेशक, COE,
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
   (प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)
   (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

6. प्रोफेसर योजना रावत, — सदस्य
   डायरेक्टर रिसर्च,
   यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
   (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

7.	प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
9.	प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-आचार्य, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
11.	डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
12.	श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
13.	श्री सूर्य प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
14.	प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा ऑनलाइन/ ऑफलाइन उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का कार्य परिषद की 46वीं बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का परिचय देते हुए कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित, बाह्य सदस्यों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया।

तद्क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में स्वंय उपस्थित बाह्य सदस्य श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला तथा आभासीय (Online) माध्यम से उपस्थित प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, श्री मनुज गोयल, अपर सचिव (प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून), प्रोफेसर योजना रावत तथा प्रोफेसर शची शाह (प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 46वीं बैठक में स्वागत किया गया।

बैठक आरम्भ होने से पूर्व कार्य परिषद के माननीय सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित श्री मनुज गोयल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया कि कार्य परिषद की बैठकों में प्रस्तुत की जानी वाली कार्यसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों का विस्तृत विवरण सभी सदस्यों को बैठक के तीन दिन पूर्व अनिवार्यत: प्रेषित किया जाय, इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

तद्क्रम में सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समस्त प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 46.01- कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/45/2026, दिनांक 13.03.2026 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिंदु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत **प्रस्ताव संख्या 45.13.05- विश्वविद्यालय में गठित आवास आवंटन समिति में परिवर्तन किए जाने की सूचना** पर विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, आमंत्रित सदस्य द्वारा असहमति/संशोधन प्रस्तुत किया गया है जो **संलग्नक के रूप में माननीय कार्य परिषद के** अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। शेष कार्यवृत्त पर कोई संशोधन/असहमति प्राप्त नहीं हुई है।

निर्णय- ***विश्वविद्यालय में गठित आवास आवंटन समिति में परिवर्तन किए जाने की सूचना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पूर्व में पारित निर्णय को यथावत रखते हुए कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से 45वीं बैठक दिनांक 13 मार्च, 2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 46.02- कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13.03.2026 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन कर, विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 46.03- विज्ञापन संख्या- UOU/Add./R3/001/2026, **दिनांक 08 अप्रैल, 2026 एवं** UOU/Add./R3/002/2026, **दिनांक 12 अप्रैल, 2026 द्वारा विज्ञापित शैक्षिक पदों में अपनाए जाने वाली चयन प्रक्रिया के संबंध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विज्ञापन संख्या- **UOU/Add./R3/001/2026,** दिनांक 08 अप्रैल, 2026 के माध्यम से सहायक प्राध्यापक के 11 एवं सह-प्राध्यापक के 02 पद तथा विज्ञापन संख्या- **UOU/Add./R3/002/2026,** दिनांक 12 अप्रैल, 2026 द्वारा सहायक प्राध्यापक का 01 एवं प्राध्यापक के 09 पद कुल 23 शैक्षिक पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन किया गया है, जिन पर चयन प्रक्रिया गतिमान है।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय- छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)अ- में सहायक प्राध्यापक पद पर चयन के लिए अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसके ख. (ii) में 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिए Demo Lecture की व्यवस्था प्राविधानित है। वर्ष 2011 में सहायक प्राध्यापक पदों की चयन प्रक्रिया में Demo Lecture के स्थान पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व विश्वविद्यालय कार्य परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21 मई, 2011 में Recruitment Procedure के अन्तर्गत लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय पारित किया गया। तदनुसार सहायक प्राध्यापक पदों की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या-152/2011(एस/बी) में दिए गए निर्णय एवं श्री राज्यपाल/ कुलाधिपिति सचिवालय के पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के अनुपालन में वर्ष 2011 से विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाती रही है।

केवल वर्ष 2019 विज्ञापित पदों में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण सहायक प्राध्यापक पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। इस संबंध में विश्वविद्यालय ***कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2020 में परिषद द्वारा तद्समय सम्पूर्ण विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में भी लिखित परीक्षा के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2018 के तहत अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का निर्णय पारित किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अतएव पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में की जा रही चयन प्रक्रिया में जहॉ आवश्यक हो वहॉ लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। शेष प्रक्रियाएं विश्वविद्यालय की परिनियमावली तथा यू0जी0सी0 विनियम-2018 के अनुरूप ही सम्पादित की जाएंगी, के क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव से संबंधित सभी अभिलेख कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जायं। तद्क्रम में परिषद के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित प्राविधान, कार्य परिषद की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या-152/2011(एस/बी) में दिए गए निर्णय एवं श्री राज्यपाल/कुलाधिपिति सचिवालय के पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2011 की प्रति व कार्य परिषद की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-01 के रूप में कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है।***

प्रस्ताव संख्या 46.04- विश्वविद्यालय के 03 क्षेत्रीय केन्द्रों को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने, राज्य में स्थापित नवीन अध्ययन केन्द्रों की सूचना एवं विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में।

क्षेत्रीय केन्द्र, हल्द्वानी एवं देहरादून के संचालन स्थल के संबंध में

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वर्तमान में एम0बी0 पी0जी0 कॉलेज, हल्द्वानी में संचालित क्षेत्रीय केन्द्र, हल्द्वानी को विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी में तथा श्री गुरु राम राय पी0जी0 कॉलेज, देहरादून में संचालित क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून को विश्वविद्यालय परिसर कार्यालय, देहरादून में स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 25 जून, 2022 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। किन्तु अभी तक इन्हें स्थानान्तरित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, अतएव उक्तानुसार क्षेत्रीय केन्द्र, हल्द्वानी एवं क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून को अतिशीघ्र स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

1. **क्षेत्रीय केन्द्र, रुड़की के स्थानान्तरण के संबंध में**

वर्तमान में क्षेत्रीय केन्द्र, रुड़की **बी0एस0एम0 पी0जी0 कॉलेज, रुड़की** से संचालित हो रहा है। प्रस्तावित स्थान **एस0एम0जे0एन0 पी0जी0 कॉलेज, हरिद्वार** भी निजी प्रबन्धन के अधीन संचालित महाविद्यालय है। प्रशासनिक सुविधा, जनसुलभ पहुँच, भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रभावी संचालन की दृष्टि से एस0एम0जे0एन0 पी0जी0 कॉलेज, हरिद्वार अधिक उपयुक्त पाया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्तावित परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार महाविद्यालय प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र के संचालन हेतु तीन कक्ष उपलब्ध कराए जाने तथा भविष्य में आवश्यकता होने पर कौशल विकास केन्द्र हेतु अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गई है। अतः क्षेत्रीय केन्द्र, रुड़की को बी0एस0एम0 पी0जी0 कॉलेज, रुड़की से स्थानान्तरित कर एस0एम0जे0एन0 पी0जी0

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कॉलेज, हरिद्वार में संचालित किए जाने के संबंध में गठित समिति की आख्या संलग्नक के रूप में कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

3. राज्य में स्थापित नवीन अध्ययन केन्द्रों के संबंध में

विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में निम्नलिखित नवीन शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (अध्ययन केन्द्र) स्थापित किए गए हैं, कुल नवीन शिक्षार्थी सहायता केंद्र 15 हैं जिनमें से 05 केन्द्र विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र है जो जेल के कैदियों हेतु तथा सैन्य सेवा संस्थानों में स्थापित किए गए है:-

क्र0सं0	अध्ययन केन्द्र कोड	विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र (अध्ययन केन्द्र) का नाम	जनपद
1	11142	पेस्टल वीड कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	देहरादून
2	11143	जी.आर.डी. गर्ल्स डिग्री कॉलेज	देहरादून
3	12093	बंगाल इंजीनियर ग्रुप एण्ड सेन्टर, रुड़की	हरिद्वार
4	12094	डिस्ट्रिक्ट जेल, हरिद्वार	हरिद्वार
5	12095	एस.एम.जे.एन. पी.जी. कॉलेज, हरिद्वार	हरिद्वार
6	14055	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उफरैखाल	पौड़ी गढ़वाल
7	14056	श्री रघुनाथ कीर्ति कैम्पस, देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल
8	15034	धर्मानन्द उनियाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नरेंद्र नगर	टिहरी गढ़वाल
9	15035	इन्दर सिंह रावत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पौखाल	टिहरी गढ़वाल
10	16134	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, भीमताल	नैनीताल
11	16135	सब जेल, हल्द्वानी	नैनीताल
12	16136	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जसपुर	ऊधम सिंह नगर
13	16137	सेंट्रल जेल, सितारगंज	ऊधम सिंह नगर
14	17077	कुमाऊँ रेजीमेंटल सेन्टर, रानीखेत	अल्मोड़ा
15	20001	शहीद जगदीश प्रसाद पुरोहित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नन्दा नगर	चमोली

4. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विशेष अध्ययन केन्द्रों के संबंध में

विश्वविद्यालय द्वारा समाज के विशिष्ट वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 05 **विशेष अध्ययन केन्द्र** स्थापित किये गये हैं:-

(क) सैन्य संस्थानों में स्थापित विशेष अध्ययन केन्द्र

1. बंगाल इंजीनियर ग्रुप एण्ड सेन्टर, रुड़की।
2. कुमाऊँ रेजीमेंटल सेन्टर, रानीखेत।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(ख) कारागारों में स्थापित विशेष अध्ययन केन्द्र

1. डिस्ट्रिक्ट जेल, हरिद्वार।
2. सब जेल, हल्द्वानी।
3. सेंट्रल जेल, सितारगंज।

5. भारतीय सेना में विशेष अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के संबंध में

क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय द्वारा जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग, उत्तर भारत एरिया, बरेली (उत्तर प्रदेश) को पत्र प्रेषित कर भारतीय सेना के विभिन्न रेजीमेंटल केन्द्रों में विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए जाने इत्यादि की कार्यवाही गतिमान है। तद्क्रम में प्रस्ताव कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है। अतएव विश्वविद्यालय के 03 क्षेत्रीय केन्द्रों को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने, राज्य में स्थापित नवीन अध्ययन केन्द्रों की सूचना एवं विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए कार्य परिषद द्वारा राज्य में नवीन एवं विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय की सराहना की गई। तद्क्रम में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र हल्द्वानी, देहरादून एवं रूड़की को विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्थानान्तरित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 46.05- व्यक्तिगत छात्रवृत्ति (Individual Sponsorship) के प्रावधान का क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक अकादमिक द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत छात्रवृत्ति (Individual Sponsorship) योजना हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पहचान किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश पर विचार हेतु एक प्रस्ताव कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13 मार्च, 2026 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्य परिषद के निर्देशानुसार माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया, गठित समिति की दिनांक 25.05.2026 को बैठक सम्पन्न हुई। तद्क्रम में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित व्यक्तिगत छात्रवृत्ति (Individual Sponsorship) योजना हेतु विश्वविद्यालय की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिनांक 25 मई, 2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 46.06- विश्वविद्यालय में दिनांक 01 व 02 अप्रैल, 2026 तथा दिनांक 18 जुलाई, 2026 को विभिन्न विषयों में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की अनिवार्यता के संबंध में मानक निर्धारित किए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में यू0जी0सी0 मानकों के अपेक्षाकृत शिक्षकों के नियमित पद सृजित न होने कारण मानकों की पूर्ति एवं विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश के अध्याय-'आठ' एवं परिनियम 4(19) के अधीन अल्पकालिक नियुक्ति, जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किए जाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश एवं प्रथम परिनियमावली में वर्णित उक्त प्रावधान के अन्तर्गत कतिपय विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में दिनांक 01 व 02 अप्रैल, 2026 तथा दिनांक 18 जुलाई, 2026 को सम्पन्न हुए वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति द्वारा निम्नानुसार अभ्यर्थियों के नियोजन की संस्तुति की गई है। तद्क्रम में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

क्र0सं0	विषय	संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम
1.	अर्थशास्त्र	1. श्री मानस त्रिपाठी 2. श्री प्रकाश चन्द्र
3.	लोक प्रशासन	1. श्री गौरव उपाध्याय
4.	पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन	1. श्री विनायक तिवारी 2. सुश्री हर्षिता मेहता
5.	बी0एड0(विशेष शिक्षा-श्रवण बाधिता)	1. डॉ0 राकेश कुमार शर्मा
6.	एम0एस0सी0 (आई0टी0)	1. श्री ललित प्रसाद
7.	भूगर्भ विज्ञान	1. डॉ0 प्रियंका जोशी 2. डॉ0 नरसिम्हा चिंतापल्ली
8.	वोकेशनल स्टडीज-इलैक्ट्रॉनिक्स	1. सुश्री वेदांशी नागर
9.	वोकेशनल स्टडीज-मैनेजमेंट	1. सुश्री कुमकुम पाण्डे
10.	वोकेशनल स्टडीज- अंग्रेजी (ल्सनिकेशन स्किकम्यू)	1. सुश्री कृतिका त्रिवेदी
11.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	1. सुश्री ईशा आर्या 2. सुश्री रिया चौहान
12.	अर्थशास्त्र	1. डॉ0 सिद्धांत खुल्बे
13.	एम0सी0ए0/बी0सी0ए0	1. श्री संजीव पाण्डे
14.	मैनेजमेंट	1. श्री लोकेश पाण्डे
15.	प्राणि विज्ञान	1. डॉ0 शहला निगार

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

16.	भौमिकी	1. डॉ0 विजय शर्मा
17.	बी0एड0 (विशेष शिक्षा-दृष्टि बाधिता)	1. श्री मुकेश कुमार यादव
18.	बी0एड0 (विशेष शिक्षा-श्रवण बाधिता)	1. श्री मयंक अवस्थी
19.	बी0एड0 (विशेष शिक्षा- अधिगम बाधिता)	1. सुश्री माधुरी भारद्वाज

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 01 व 02 अप्रैल, 2026 तथा दिनांक 18 जुलाई, 2026 को विभिन्न विषयों में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 46.07- विश्वविद्यालय के कम्यूनिटी रेडियो एवं ई0एम0पी0सी0 अनुभाग में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्मिकों के नियोजन हेतु दिनांक 28 मई, 2026 को सम्पन्न वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश के अध्याय-'आठ' एवं परिनियम 4(19) के अधीन अल्पकालिक नियुक्ति, जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किए जाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश एवं प्रथम परिनियमावली में वर्णित उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कम्यूनिटी रेडियो विभाग में रेडियो पठकथा लेखक एवं रेडियो प्रोग्रामर के नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में दिनांक 28 मई, 2026 को सम्पन्न वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति द्वारा निम्नानुसार अभ्यर्थियों के नियोजन की संस्तुति की गई है। तद्क्रम में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियां कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं:-

क्रम0 सं0	नियोजन, जिस रूप में किया गया है।	संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम
1.	रेडियो पटकथा लेखक	सुश्री लता के0सी0 मेर
2.	रेडियो प्रोग्रामर	सुश्री सोनू भट्ट

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के कम्यूनिटी रेडियो एवं ई0एम0पी0सी0 अनुभाग में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत रेडियो पटकथा लेखक व रेडियो प्रोग्रामर के नियोजन हेतु दिनांक 28 मई, 2026 को सम्पन्न वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 46.08- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता के नियोजन के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किए जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता तथा तकनीकी परामर्शदाता का नियोजन किया जाता रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छः माह की सेवा अवधि **दिनांक 30 जून, 2026** को पूर्ण होने के फलस्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु विभागाध्यक्षों से संबंधितों की प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या के आधार पर सीका द्वारा की गई संस्तुतियों को माननीय कुलपति जी द्वारा परिनियम 4(19) के क्रम में अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्क्रम में **दिनांक 02 जुलाई, 2026 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2026** (छः माह) तक विभिन्न कार्यक्रमों/विषयों में **कुल 123** अस्सिटेंट प्रोफेसर(ए.सी.) तथा व्यवसायिक कार्यक्रमों हेतु 01 अनुदेशक का नियोजन किया गया है। साथ ही प्रशासनिक तथा तकनीकी परामर्शदाताओं की विभागाध्यक्षों से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या में दी गई संस्तुतियों पर माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में 05 प्रशासनिक एवं 02 तकनीकी परामर्शदाताओं को छः माह की अवधि के लिए **दिनांक 02 जुलाई, 2026 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2026** तक नियोजित किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए.सी) तथा प्रशासनिक परामर्शदाताओं के मानदेय के संबंध में कार्य परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 13 मार्च, 2026 में गठित समिति द्वारा मानदेय निर्धारण के संबंध में निर्मित नियमावली परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु विभागाध्यक्षों से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या के आधार पर सीका द्वारा की गई संस्तुतियों व प्रशासनिक तथा तकनीकी परामर्शदाताओं की विभागाध्यक्षों से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या के आधार पर कुलसचिव द्वारा की गई संस्तुतियों पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश के अधीन कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि भविष्य में अकादमिक गतिविधियों, स्क्रीनिंग तथा कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) का नियोजन किया जाय। संबंधितों के मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में प्रस्तुत नियमावली पर परिषद द्वारा अवलोकनोपरान्त निर्णय पारित किया गया कि परिषद द्वारा पूर्व में गठित समिति द्वारा मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में एक एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत की जाय। इस पर अपर सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा कहा गया कि मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में वित्त समिति की संस्तुतियां एवं नियमित पदों के सृजन के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।***

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 46.09- विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह (Five Day Work Week) किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्याशाखा निदेशकों द्वारा माननीय कुलपति जी को विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह (Five Day Work Week) किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में संबंधित निदेशकों द्वारा भारत के अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों जैसे- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली व अन्य विश्वविद्यालयों में लागू पांच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रात: 9.30 से सांय 5.30 तक, को विश्वविद्यालय में भी लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में छ: दिवसीय कार्य व्यवस्था प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक लागू है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह किए जाने का औचित्य सहित विस्तृत विवरण एक समिति के माध्यम से तैयार कर आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाय। तद्क्रम में समिति गठित किए जाने हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। अपर सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा मत व्यक्त किया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था नहीं है, अतएव समिति की संस्तुतियां कार्य परिषद के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायं।***

प्रस्ताव संख्या 46.10- केन्द्रीय मूल्यांकन के सुचारू संचालन हेतु मानदेय निर्धारण के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में आगामी अगस्त माह से प्रारम्भ होने वाले केन्द्रीय मूल्यांकन के सुचारू संचालन हेतु प्रभारी, केन्द्रीय मूल्यांकन द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन में मानदेय एवं प्रतिकर अवकाश इत्यादि के संबंध में निम्नानुसार के प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है:-

1. प्रभारी केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु प्रतिदिन का मानदेय **₹800/-** उप प्रभारी मूल्यांकन समिति हेतु प्रतिदिन का मानदेय **₹650** /-, प्रस्तावित है, केन्द्रीय मूल्यांकन में कार्यरत सहायक प्रभारी हेतु प्रतिदिन का मानदेय **₹560/-**, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हेतु प्रतिदिन का मानदेय **₹440/-** तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु प्रतिदिन का मानदेय **₹350/-** प्रस्तावित है।
2. अवकाश के दिनों का, प्रतिकर अवकाश एवं मानदेय देय होगा प्रतिकार अवकाश ,दिनांक दिसंबर 31, 2026 तकही मान्य होगा।
3. प्रत्येक सत्र में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु ₹ 50,000/- (₹ पचास हजार मात्र) तक का भुगतान देय होगा

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण कार्य परिषद द्वारा संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित करते हुए निर्णय पारित किया गया कि केन्द्रीय मूल्यांकन के सुचारू संचालन हेतु मानदेय निर्धारण संबंधी प्रस्ताव व परीक्षा संबंधी अन्य प्रस्ताव, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हों, को परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाय।*

प्रस्ताव संख्या 46.11- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 एवं 36वीं बैठक दिनांक 31.07.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28 मई, 2026 एवं 36वीं बैठक दिनांक 31 जुलाई, 2026 में निम्नानुसार 02 संशोधन प्राप्त हुए हैं जिन्हें विद्या परिषद की उक्तों बैठकों में पारित निर्णयों में संयोजित किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

1. विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28 मई, 2026 के के **प्रस्ताव संख्या-35**.14 **विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों** (Board of Studies) **की संस्तुतियों का अनुमोदन** में मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग के कार्यक्रमों- चीनी, जापानी एवं स्पेनिश भाषा में प्रमाण-पत्रों के पाठ्यक्रमों में यू0जी0सी0/**NEP** के मानकों के अनुरूप क्रेडिट संशोधित कर 8 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट किए जाने के संबंध में डॉ0 सुचित्रा अवस्थी, समन्वयक, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा द्वारा के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में निदेशक अकादमिक द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग की दिनांक 19.05.2026 को सम्पन्न अध्ययन बोर्ड की बैठक में चीनी, जापानी एवं स्पेनिश भाषा में प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का क्रेडिट प्रति सेमेस्टर 8 रखा गया है, जबकि यू0जी0सी0/**NEP** के मानकानुसार कोई भी कार्यक्रम न्यूनतम 20 क्रेडिट का होना अनिवार्य है, तभी कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। तद्क्रम में अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों में उक्त कार्यक्रमों के क्रेडिट में संशोधन करते हुए प्रति सेमेस्टर 8 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट किए जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. विद्या परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 31 जुलाई, 2026 के **प्रस्ताव संख्या- 36.07 "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के संबंध में पत्रांक- 4-1 (UGC-NET Review Committee)/ 2024 (NET)/ 140648, दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुसार यूजीसी-नेट के आधार पर पीएच0डी0 प्रवेश के साथ-साथ विश्वविद्यालय की पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विचार"-** इस संबंध में सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 31.07.2026 में प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत पीएच0डी0 प्रवेश नीति-2026 को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। तद्क्रम में प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, शोध एवं नवाचार द्वारा पीएच0डी0 प्रवेश नीति-2026 के बिन्दु संख्या-1, 3, 5 व 12 में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित पीएच0डी0 प्रवेश नीति- 2026 को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, श्री सूर्यप्रताप सिंह द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 31 जुलाई, 2026 में वे ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे, किन्तु विद्या परिषद की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त की उपस्थिति में उनका नाम सम्मिलित नहीं है। पुष्टि हेतु संबंधित द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उपस्थिति का स्क्रीन शॉट परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही 36वीं बैठक के **प्रस्ताव संख्या-36.19.06- क्रय अनुभाग में लंबित क्रय पत्रावलियों के संबंध में विचार** हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त अधिकारी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि- संबंधित प्रकरण विद्या परिषद में प्रस्तुत किए जाने विषयक नहीं था और क्रय विभाग की कोई भी पत्रावली उनके स्तर से लंबित नहीं है। वित्त अधिकारी द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर की गई आपत्ति के संबंध में माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वित्त अधिकारी के विश्वविद्यालय में उपस्थित ना रहने के कारण क्रय व वित्तीय मामलों से संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण ना होने के कारण विश्वविद्यालय के कार्य बाधित हो रहे हैं जिसकी सूचना विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित की गई है। यदि विश्वविद्यालय हित में आवश्यक होगा तो इसकी सूचना शासन को पुन: प्रेषित की जाएगी।

निर्णय:- ***कार्य परिषद के समक्ष संशोधन हेतु प्रस्तुत विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 के प्रस्ताव संख्या-35.14 एवं 36वीं बैठक दिनांक 31.07.2026 के प्रस्ताव संख्या-36.07 के अन्तर्गत आंशिक संशोधन हेतु प्रस्तुत दोनों प्रस्तावों का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया। तदोपरान्त 35.14 में चीनी, जापानी व स्पेनिश कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट किए जाने तथा पीएच0डी0 प्रवेश नीति-2026 के बिन्दु संख्या-1, 3, 5 व 12 में आंशिक संशोधन को समावेशित कर विद्या परिषद की 35वीं एवं 36वीं बैठकों के शेष कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही वित्त अधिकारी को विद्या परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 31.07.2026 में सम्मिलित करते हुए उपस्थित माने जाने पर निर्णय पारित कर संस्तुति की गई कि यदि वित्तीय प्रकरणों में वित्त अधिकारी का सहयोग विश्वविद्यालय को समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो विश्वविद्यालय हित में जो भी आवश्यक है उसे कुलपति जी के स्तर पर पूर्ण कर लिया जाय।***

प्रस्ताव संख्या 46.12- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 46.12.01- श्री सागर उप्रेती, पुत्र स्व0 श्री शेखर चन्द, वाहन चालक तथा श्रीमती रक्षिता काण्डपाल, पत्नी स्व0 डॉ0 हेमन्त काण्डपाल को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में सूचना में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वाहन चालक के पद पर कार्यरत स्वर्गीय श्री शेखर चन्द्र तथा सहायक प्राध्यापक (आयुर्वेद) के पद पर कार्यरत स्वर्गीय डॉ0 हेमन्त काण्डपाल के आकस्मिक निधन के उपरान्त, मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974, द्वितीय

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संशोधन नियमावली, 1991 तथा उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002, (प्रथम संशोधन) 2004 एवं संशोधन नियमावली, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय के संगठनात्मक ढांचे में रिक्त **कनिष्ठ सहायक** (अनारक्षित) (**वेतनमान 21700-लेवल 69100-03)** के पद पर निम्नलिखित आश्रितों को एक वर्ष की परिवीक्षावधि के अधीन अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है:-

क्रम संख्या	नियुक्त कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	श्री सागर उप्रेती	कनिष्ठ सहायक	02 जुलाई, 2026 (अपराह्न)
2.	श्रीमती रक्षिता काण्डपाल	कनिष्ठ सहायक	01 अगस्त, 2026 (अपराह्न)

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में परिषद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि छ: माह में संबंधित कार्मिकों की पद के अनुरूप व कार्यक्षमता के संबंध में परीक्षा ली जाय। श्री सागर उप्रेती एवं श्रीमती रक्षिता काण्डपाल को इसकी सूचना समय पर प्रेषित कर दी जाय।***

प्रस्ताव संख्या 46.12.02- विश्वविद्यालय की "शिक्षार्थी सहायता केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र मानक मापदण्ड नियमावली, 2022" के बिन्दु संख्या- 4.3, 4.8, 4.9, 7.2, 9.3 एवं 14.0 के अनुपालन में विशेष शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों पर लागू किए जाने पर विचार/अनुमोदन।

निर्णय:- ***विश्वविद्यालय की "शिक्षार्थी सहायता केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र मानक मापदण्ड नियमावली, 2022" में संशोधन किए जाने हेतु एक समिति के गठन पर निर्णय पारित करते हुए कार्य परिषद द्वारा समिति गठित किए जाने हेतु माननीय कुलपति जी की अधिकृत किया गया।***

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सेलगनक-01

(THE STATUTES)

परिनियम

में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

(3) विद्याशाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना;

(ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया–कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना;

(ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलो पर विचार करना।

(4) समिति की कम से कम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय–छः
विश्वविद्यालय के अध्यापक

अध्यापकों का वर्गीकरण

20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगेः–

(क) आचार्य;

(ख) उपाचार्य;

(ग) प्राध्यापक

विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अर्हता

21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिसटैन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति

22 उपाचार्य के लिए समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

आचार्य के लिए अर्हताएं

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आर्चायों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

रिक्तियों का अवधारण

24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

रिक्तियों का विज्ञापन

25(1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:–*

1- कुलपति– अध्यक्ष

2- विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय अर्थात् कार्य परिषद एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ – सदस्य

3-विद्या शाखा का निदेशक– सदस्य

4- संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष– सदस्य

5- कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्– सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में एक शिक्षाविद् वशर्ते कि इन श्रेणीयों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

नोट– चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या–366/जी0एस0/शिक्षा/सी 7–4/2011 दिनांक 22 अप्रैल, 2011 द्वारा प्राप्त अनुमोदनानुसार।

(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना कमी तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

*** (13) अ[5]. चयन के लिए अंकों का निर्धारण**

चयन प्रक्रिया के लिए अंको का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 में विहित प्रक्रियानुसार (समय–समय पर संशोधनों सहित) निर्धारित नियम जो सरकार द्वारा अंगीकृत/ अनुमोदित हों, लागू होंगे, के अनुरूप किया जायेगा।

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।

---

5 माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी के सचिव (प्रभारी) के पत्रांक–187/जी0एस0/शिक्षा/सी 7–26/2019, दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)'अ' में वर्णित 'चयन के लिए अंकों का निर्धारण' के संबंध में संशोधन प्रतिस्थापित किये जाने की माननीय कुलाधिपति जी द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय- समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः –

1. <u>लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन</u>:

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।

1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।

3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

Note:

- Paper presented if part of edited book or proceeding then it can be claimed only once.
- For joint supervision of research students, the formula shall be 70% of the total score for Supervisor and Co-supervisor. Supervisor and Co-supervisor, both shall get 7 marks each.
- *For the purpose of calculating research score of the teacher, the combined research score from the categories of 5(b). Policy Document and 6. Invited lectures/Resource Person/Paper presentation shall have an upper capping of thirty percent of the total research score of the teacher concerned.
- The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

Table: 3 A

Criteria for Short-listing of Candidates for Interview for the Post of Assistant Professors in Universities

S.N.	Academic Record	Score			
1.	**Graduation**	80% & Above = 15	60% to less than 80% = 13	55% to less than 60% = 10	45% to less than 55% =05
2.	**Post-Graduation**	80% & Above = 25	60% to less than 80% = 23	55% (50% in case of SC/ST/OBC (non-creamy layer)/PWD) to less than 60% = 20	
3.	**M.Phil.**	60% & above = 07	55% to less than 60% = 05		
4.	**Ph.D.**	30			
5.	**NET with JRF**	07			
	NET	05			
	SLET/SET	03			
6.	**Research Publications (2 marks for each research publications published in Peer-Reviewed or UGC-listed Journals)**	10			
7.	**Teaching / Post Doctoral Experience (2 marks for one year each)#**	10			
8.	**Awards**				
	International / National Level (Awards given by International Organisations/ Government of India / Government of India recognised National Level Bodies)	03			
	State-Level (Awards given by State Government)	02			

#However, if the period of teaching/Post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately.

Note:

(A) **(i)** M.Phil + Ph.D Maximum - 30 Marks

(ii) JRF/NET/SET Maximum - 07 Marks

(iii) In awards category Maximum - 03 Marks

(B) Number of candidates to be called for interview shall be decided by the concerned universities.

(C)

Academic Score	-	80
Research Publications	-	10
Teaching Experience	-	10
Total	-	**100**

(D) Score shall be valid for appointment in respective State SLET/SET Universities/ Colleges/ Institutions only

Table: 3 B

Criteria for Short-listing of candidates for Interview for the Post of Assistant Professors in Colleges

S.N.	Academic Record	Score			
1.	**Graduation**	80% & Above = 21	60% to less than 80% = 19	55% to less than 60% = 16	45% to less than 55% =10
2.	**Post-Graduation**	80% & Above = 25	60% to less than 80% = 23	55% (50% in case of SC/ST/OBC (non-creamy layer)/PWD) to less than 60% = 20	
3.	**M.Phil.**	60% & above = 07	55% to less than 60% = 05		
4.	**Ph.D.**	25			
5.	**NET with JRF**	10			
	NET	08			
	SLET/SET	05			
6.	**Research Publications (2 marks for each research publications published in Peer-Reviewed or UGC-listed Journals)**	06			
7.	**Teaching / Post Doctoral Experience (2 marks for one year each)#**	10			
8.	**Awards**				
	International / National Level (Awards given by International Organisations/ Government of India / Government of India recognised National Level Bodies)	03			
	State-Level (Awards given by State Government)	02			

However, if the period of teaching/post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately.

Note :

(A)

(i)	M.Phil. + Ph.D.	Maximum	-	25 Marks
(ii)	JRF/NET/SET	Maximum	-	10 Marks
(iii)	In awards category	Maximum	-	03 Marks

(आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।

- शोध–पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :
  1 एक शोध–पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।
  2 दो से तीन शोध–पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।
  3 चार तथा चार से अधिक शोध–पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

विशेष टिप्पणी : केवल उन्ही शोध–पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो संदर्भित (Refereed) जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की Screening Committee के द्वारा किया जायेगा। Articles, Book-Reviews तथा Study Material को भी Screening Committee , जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, के द्वारा उपयुक्त weightage दिया जायेगा।

यदि शोध–पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंको को तद्नुरूप विभाजित कर दिया जायेगा।

ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा;

i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की

Screening Committee के द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

2) सह–प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये

2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:–

स्नातक स्तर	– 7 प्रतिशत।
परास्नातक स्तर	– 8 प्रतिशत।
पीएच0डी0 / कार्य अनुभव	– 5 प्रतिशत।
योग	**20 प्रतिशत**

2.2 शोध कार्यो एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये API को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21 मई 2011 का कार्यवृत्त-

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. डा0 विनय कुमार पाठक, कुलपति — अध्यक्ष
2. डा0 पी0एम0 शालीमठ, निदेशक शोध, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक — सदस्य
3. श्री सुधीर चड्ढा, उद्योगपति, चड्ढा सीड फार्म चकुलवा, नैनीताल — सदस्य
4. डा0 मुकुल त्रिवेदी, (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, के द्वारा नामित) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी — सदस्य
5. प्रोफेसर अजय रावत, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सदस्य
6. प्रोफेसर जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सदस्य
7. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सदस्य
8. प्रोफेसर नेमपाल सिंह, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सदस्य
9. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सदस्य
10. श्रीमती आभा गखोल, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सदस्य
11. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन/ कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी — सचिव

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति तथा कार्यकलापों मे परिषद के सदस्यगणों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार आरम्भ हुआ।

प्रस्ताव संख्या 3.01- कार्य परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.10.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्य परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.10.2010 का कार्यवृत्त, यथा परिचालित की पुष्टि की गई।

3. प्रवक्ता या उससे उच्च स्तर के शिक्षकों को वर्ष में एक अन्तर्राष्ट्रीय (यदि किसी अन्य देश में हो) तथा दो राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने की अनुमति होगी, परन्तु यदि विभागीय कार्य प्रभावित होता हो तो अनुमति दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

4. संविदा शिक्षक अथवा शैक्षणिक परामर्शदाता को दो राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने की अनुमति होगी, परन्तु यदि विभागीय कार्य प्रभावित होता हो तो अनुमति दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

5. विशेष मामलों में कुलपति उपर्युक्त 1-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त प्रतिभाग की अनुमति तथा तद्निमित्त कार्य अवकाश प्रदान कर सकते हैं, परन्तु कार्य अवकाश की अवधि एक वर्ष में 15 दिन से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।

6. प्रतिभाग हेतु अनुमति तभी प्रदान की जायेगी जब आयोजन का व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जा रहा हो, परन्तु यदि विश्वविद्यालय का प्रतिभाग आवश्यक हो तो यात्रा तथा अन्य का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा जिस हेतु पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।

7. गोष्ठियों में प्रतिभाग हेतु पृथक से 5 लाख रूपये का प्राविधान दूरस्थ शिक्षा परिषद अथवा विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान में से किया जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि गोष्ठीयों, कार्यशालाओं एवं अन्य प्रयोजनों हेतु विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिभाग हेतु आय-व्ययक में प्राविधान कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 3.34- विश्वविद्यालय नियुक्तियों की प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि प्रस्तावित निम्न नियुक्ति प्रक्रिया पर इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि नियुक्ति विषयक अधिनियम एवं परिनियमों की व्यवस्थाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े:-

Recruitment Procedure

1- **Provision of Act** – 44(1) The University shall appoint such number of employees including academic staff as may be sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

2- **Provision of Statutes** – Statutes 20-34 provide for procedure of recruitment of teachers of the University, and 35 of staff other than teachers.

3- First Ordinances define recruitment procedure of non-teaching staff in detail.

Though provisions of the Act, the Statutes and the first Ordinances describe the provisions of recruitment, the procedure of recruitment to be adopted needs to be elaborated to ascertain the compliance of various provisions. As such, the following procedure is being proposed:

i) **Determination of vacancy** – A post duly created by the State Government and lying unfilled will be considered as a vacant post for advertisement. However, if the post is a

promotional post, no advertisement will be required and the post will be filled as per provisions of the service conditions.

ii) **Advertisement of Vacancy** – Vacant posts to be filled through direct recruitment will be advertised in the manner laid down in the Statutes or the Ordinance for inviting applications from the candidates for respective posts.

iii) **Educational Qualifications:** Educational qualification for teaching posts will be as mentioned in the Statutes i.e. as prescribed by the University Grants Commission and that for non-teaching staff as approved by the Executive Council.

iv) **Tabulation of application forms** – All applications received for a post shall be tabulated in such manner as required to determine the fulfillment of the requisite qualification and other requirements of the advertisement as also to sort out eligible candidates out of the applications received.

v) **Rejection of the application form** – Incomplete applications in any manner or those not fulfilling the prescribed qualifications as per advertisement will be summarily rejected.

vi) **Screening of Applications** – Screening of applications will be done by a committee constituted by the Vice-Chancellor consisting of at least one subject expert either from amongst the University teachers or from outside. The committee will scrutinize each application with regard to qualification and experience mentioned in the advertisement and will earmark candidates found eligible or otherwise. Based on screening, eligible candidates will be called for a written test and interview or any other test as prescribed. The format of the screening will be developed in such manner that it consists of all information required to finalize eligible candidates in accordance with advertisement and/or regulatory requirements. Format of screening of applications would generally be as under:-

1. Serial Number
2. Name of Candidate
3. Father's Name
4. Academic Qualification
5. Experience - (a) Teaching (in case of Teaching Post) (b) other experience
6. Marks of Written Test, if conducted
7. Marks of Technical/other test, if any
8. Marks of Interview
9. Total Marks

Note:- (1) In case of Teaching Posts, distribution of marks for Academic Qualification, Teaching/Administrative Experience, Demo Lecture or written test and Interview will be as prescribed in the Statutes.

(2) For Non-teaching posts, the procedure for selection will be in-accordance with the practices of State Government and approval by the Executive Council.

vii) **Conducting of written test, interview and/or other test, if any** - The University may conduct written test, interview and/or other test depending upon the nature of work of the post. However, this provision will not violate any provision of the Statutes or the Ordinance and will also not be contrary to orders of the Government. All instructions, including the syllabus for the written test, will be given in the Call Letter to the eligible candidates. To pass the written test, candidate will have to secure a minimum of 33% marks.

viii) **Calling of Candidates for written test, interview and/or other test** – Only those candidates will be called for test, interview as would be found eligible by the Screening Committee. Candidates to be called for written test, interview and or other test will be issued a call letter which will be dispatched by registered post at least 15 days before the date of such test and will contain all necessary instructions. The marks of the written test and/or other test will be accounted for determining the final merit besides the performance in the interview. In case, the appointment is done only on the basis of written test, the marks of the written test will be the basis for determining the merit of candidates.

ix) Proforma for Selection Committee:-

Date of Interview:

Name of the Post- .....

Category wise number of Post- SC..... ST..... OBC..... UR.....

Pay-Band..... Grade Pay .....

Number of candidates called for interview .....

Number of candidates reporting for interview .....

Names of candidates recommended for appointment in order of merit:-

Sl. No.	Name of candidates	Father's Name	Pay recommended

Signature of the Chairman and Members of the Selection Committee:-

1. 2. 3.

4. 5 6.

x) Drawing of merit list – Total marks attained by the candidate in written test or other test, if any, and the interview will be the basis for drawing the final merit list. In case of reserved post, merit list for that category will be drawn separately. But in all the cases a panel of at least 03 names, strictly in the order of merit shall be drawn.

xi) Maintenance of secrecy- All work relating to selection procedure will be confidential and maintenance of secrecy will be binding on all persons connected with the recruitment work. The report of the Selection Committee will be kept in a sealed cover signed by the members of the Selection Committee. Sealed envelope will be opened by the Registrar in case of non-teaching post at his own level for submission of report to the Vice-Chancellor. Proposal to be submitted to the Vice-Chancellor will be in accordance with the report of the selection committee. In case of teaching posts, envelopes will be opened in the meeting of the Executive Council in the presence of Chairman and the Members. A confidential agenda will be carried by the Registrar and names of selected candidates will be filled in the meeting in the same order as they appear in the selection committee's recommendation.

xii) Issuance of Appointment letter – The merit list drawn by the Selection Committee will be the sole basis for issuing the appointment letter, subject to approval of the competent authority.

परिषद को अवगत कराया गया कि सहायक प्राध्यापक के विज्ञाप्ति पदों हेतु दिनांक 19 जून, 2011 को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है।

प्रस्ताव संख्या 3.35- विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन व शर्ते एवं आचार संहिता के अन्तर्गत शैक्षिक व अन्य अर्हतायें विषयक प्रथम अध्यादेश के अध्याय 9 में परिवर्तन

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि प्रथम अध्यादेश के अध्याय 9 मे शिक्षणेत्तर पदो के लिए शैक्षिक एव अन्य अर्हताओ मे निम्नवत् संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है:-

2011:UHC:2116

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition No. 152 of 2011 (S/B)

Dr. Chandra Pal Singh Bohra ..... Petitioner

Versus

Uttarakhand Open University & others. ..... Respondents

Mr. Subhash Upadhyaya and Mr. Pradeep Hairiya, Advocates, for the petitioner.
Mr. Manoj Tiwari, Senior Advocate, with Mr. Alok Mehra, Advocate, for respondent Nos. 1 & 2.
Mr. V.B.S. Negi, Advocate for respondent No. 3.

JUDGMENT

Coram: Hon'ble Barin Ghosh, C.J.
Hon'ble Servesh Kumar Gupta, J.

BARIN GHOSH, C. J. (Oral)

In the instant case, petitioner is aggrieved, inasmuch as, respondent University is seeking to hold written examination, in addition to interview. It is the contention of the petitioner that neither the Act nor the Statute authorises holding of written examination. It is the further contention of the petitioner that even the Regulations do not prescribe holding of written examination. It was submitted that in the advertisement, too, there was no mention that a written examination shall be held. In addition to that, it was contended that when the basic eligibility is either NET / SLET, question of holding any further written examination did not arise. It was, however, not contended that either the Act or the Statute or the Regulations barred the respondent University to hold written examination.

2. In the event, there is no bar to do a particular thing, it must be deemed that there is no impediment in doing such thing. The Regulations prescribed the basic minimum eligibility. A person, having such basic eligibility, may or may not be appointed. He will be appointed, in the event, he, along with others who have applied, can supply the advertised vacancies. In the event, he and others, who have applied, are more than the advertised vacancies, then there must be some mode of finding out, who is better amongst them. Where the law, having statutory force, do not prescribe the mode and method of ascertaining the same, a convenient

2011:UHC:2116

mode adopted to achieve the self-same object cannot be questioned. There cannot be any dispute that a written examination of such candidates is a convenient and a transparent mode of ascertaining, who is better amongst others, who are all eligible.

3. We, accordingly, refuse to interfere. The writ petition is dismissed.

(Servesh Kumar Gupta, J.)
20.06.2011

(Barin Ghosh, C. J.)
20.06.2011

G

(65) 115

(संलग्नक-ख)

(27) 4/9/11

संख्या-2364/जी0एस0/शिक्षा/C-15/2011

प्रेषक

अशोक
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

समस्त कुलपति
उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून: दिनांक 27 सितम्बर, 2011

विषयः सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 152/2011(S/B) में दिये गये निर्णय को विश्वविद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों के रुप में उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में रिट याचिका सं0 152/2011(S/B) में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 20.06.2011(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उल्लखनीय है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने पर आपत्ति करते हुये डा0 चन्द्रपाल सिंह बोहरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल में इस आशय से याचिका दायर की गयी कि साक्षात्कार के अतिरिक्त लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु न तो अधिनियम और न ही परिनियम विश्वविद्यालय को अधिकृत करते हैं। साथ ही विनियमन भी लिखित परीक्षा आहूत किया जाना विहित नहीं करते हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन में भी इसका उल्लेख नही किया गया था तथा आधारभूत योग्यता NET/SLET होने पर भी अन्य लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रश्न नहीं होता है। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह संज्ञान लिया कि यह तर्क नहीं किया गया है कि अधिनियम/ परिनियम या विनियमन विश्वविद्यालय को लिखित परीक्षा लेने से रोकते हैं। इस प्रकार याचिका को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित निर्णय के साथ खारिज किया गया:-

" In the event, there is no bar to do a particular thing, it must be deemed that there is no impediment in doing such thing. The Regulations prescribed the basic minimum eligibility. A person, having such basic eligibility, may or may not be appointed. He will be appointed, in the event, he, along with others who have applied, can supply the advertised vacancies. In the event, he and others, who have applied, are more than the advertised vacancies, then there must be some mode of finding out, who is better amongst them. Where the law, having statutory force, do not prescribe the mode and method of ascertaining the same, a convenient mode adopted to achieve the self-same object cannot be questioned. There cannot be any dispute that a written examination of such candidates is a convenient and transparent mode of ascertaining, who is better amongst others, who are all eligible."

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.06.2011 की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित करने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय को विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश के रुप में उपयोग करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक)
कुलाधिपति के सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 16 सितम्बर, 2020 (बुधवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, — सदस्य
   भौतिक विज्ञान विभाग,
   कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस,
   अल्मोड़ा।

3. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, — सदस्य
   लेखा एवं विधि विभाग,
   वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग,
   आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।

4. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, — सदस्य
   अध्यक्ष,
   हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री,
   नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।

5. प्रोफेसर नागेश्वर राव, — सदस्य
   कुलपति,
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
   (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

6. डॉ0 कुमकुम रौतेला, — सदस्य
   निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड
   (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)

7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, — सदस्य
   निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

8. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, — सदस्य
   निदेशक,
   पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

माह जून, 2020 में विश्वविद्यालय कार्य परिषद का पुनर्गठन होने के पश्चात् परिषद की यह प्रथम बैठक कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सम्पन्न हुई। तद्क्रम में कुलपतिजी ने माननीय श्री राज्यपाल/ कुलाधिपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय कार्य परिषद के नव नियुक्त 04 सदस्यगणों- प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा, प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल) एवं अपरिहार्य कारण से बैठक में सम्मिलित न होने वाले सदस्य श्री पवन अग्रवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित प्रोफसर नागेश्वर राव, कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित सदस्य डॉ0 कुमकुम रौतेला, निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 28.01- कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यगणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा कोई संशोधन प्राप्त न होने की जानकारी सदस्य सचिव द्वारा परिषद को दी गयी, जिस पर परिषद द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.02- कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि कृत कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या-27.04 एवं 27.13 पर पुनः समीक्षा की जानी प्रस्तावित है, इन प्रस्तावों पर कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया था:-

> "प्रस्ताव संख्या 27.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत शैक्षिक पदों हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- किसी भी विषय/श्रेणी में अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में आवश्यकता होने पर एक Screening Test आयोजित कराया जा सकता है। Screening Test के लिए 100 अंकों का एक

वस्तुनिष्ठ (objective) प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 70 प्रश्न संबंधित विषय से एवं 30 प्रश्न समसामयिकी/शिक्षण योग्यता (Teaching Aptitude)/दूरस्थ शिक्षा (ODL)/ से संबंधित होंगे।"

उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण लिखित परीक्षा सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है। अतएव इस वर्ष सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित न की जाय। प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में भी लिखित परीक्षा के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2018 के तहत अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाय। प्रोफेसर नागेश्वर राव द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त प्रस्ताव से उत्तराखण्ड शासन व माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी को भी अवगत कराया जाय। कार्य परिषद द्वारा प्रोफेसर राव के सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी।

"प्रस्ताव संख्या 27.13- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित एवं रिक्त शिक्षणेत्तर (समूह ग) पदों पर विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को सीमित विभागीय लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व से कतिपय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक शासन द्वारा सृजित आउटसोर्स के पदों पर कार्यरत हैं जिनकी लगभग 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। दीर्घकालीन सेवा पूर्ण होने के उपरान्त भी तकनीकी कारणों से इन्हें नियमित नहीं किया जा सका है। शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित शिक्षणेत्तर (समूह ग) पदों में से कुछ पद वर्तमान में रिक्त हैं जिन पर इन कार्मिकों को नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तदुपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया कि वर्तमान में कार्यरत उक्त कार्मिकों की नियुक्ति हेतु एक समिति का गठन कर कार्मिकों व विश्वविद्यालय हित में एक नियमावली बना ली जाय तथा संबंधित कार्मिकों की विश्वविद्यालय स्तर पर एक आन्तरिक परीक्षा जिसमें कौशल विकास (Skill Test) आदि सम्मिलित हो, के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है। नियमावली बनाने के लिए समिति के गठन हेतु कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।"

उक्त प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा सृजित आउटसोर्स के पदों पर पूर्व से बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है। शासन से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया गया कि शासन को पुनः इस प्रकरण पर विचार हेतु प्रत्र प्रेषित किया जाय तदनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त शेष कार्यवाही विवरण से कार्य परिषद अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।